"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकिट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30–05–2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 443] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 2013—आश्विन 8, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-10/खाद्य/ 2001/29 .—— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (क्रमांक 68 सन् 1986) की धारा 16 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा, का अध्यक्ष पद पर कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अथवा उनकी 67 वर्ष की आयु जो भी पूर्व हो, रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 5-10/2001/खाद्य/29. —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 30th September 2013

NOTIFICATION

No. F 5-10 /2001/ Food/ 29.— In exercise of the powers conferred by clause (A) of sub-section (1) of section 16 of Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986), the State Government, in Consultation with the Hon'ble Chief Justice of Chhattisgarh High Court, Bilaspur, is pleased to appoint Shri Justice Radhe Shyam Sharma, Sitting Judge of Chhattisgarh High Court, President of Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission, Raipur from the date he assumes charge of his office.

The term of office of Shri Justice Radhe Shyam Sharma, as President shall be for a period of five years or up to the age of Sixty Seven years, whichever is earlier.

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.